राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या –523, 524, 525 व 526/2014/जयपुर

बैंक ऑफ इण्डिया,
सरोजनी मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
जरिये श्री नरमी राम, मुख्य प्रबंधक। ......प्रार्थी.

बनाम्

(1) राजस्थान सराकार जरिये लोक अभियोजक।
(2) अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
(3) कार्यालय उप–पंजीयक द्वितीय, जयपुर। अप्रार्थीगण.

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

निर्णय दिनांक : 14.08.2014

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह चार निगरानी प्रकरण, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत् अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर (जिसे आगे ''कलक्टर'' कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक 17.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जो कमशः प्रकरण संख्या 707, 708, 709 व 710/2013 (पुराना कमांक 620, 621, 622 व 623/2012) के संबंध में हैं तथा जिनमें प्रार्थी द्वारा विद्वान् ''कलक्टर'' द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक 24.07.2004 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को चुनौती दी है।

प्रकरणों के संबंध में पीठ के समक्ष नियत दिनांक 14.08.2014 को सहायक मुख्य प्रबंधक श्री प्रमोद कुमार द्विवेदी द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुये जिनमें उनके द्वारा यह निवेदन किया गया कि विद्वान कलक्टर द्वारा प्रकरणों के संबंध में कायम कमी मुद्रांक की मांग राशियों को प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवायी जा चुकी हैं। अतः प्रस्तुत प्रकरणों को विदड्रा करने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रकरणों के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के जरिये प्रस्तुत निगरानियों को ''विदड्रॉ'' करने के कारण, उक्त जरिये ''विदड्रॉल'' खारिज किये जाते हैं ।

निर्णय सुनाया गया ।

14.8.2014
(मदन लाल)
सदस्य